पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्र०न० 354/2025

1 जगदीश पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

2 ओमप्रकाश पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

डिक्री दिनांक.........................

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है– चक 17 एनजीसी के खाता सं0 96/25 में कुल 1.2020 है० आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकन0 17 एनजीसी के खाता सं0 96/25 में से प्रतिवादी ओमप्रकाश का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी